रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 1975/माघ 1, 1896

No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 1975/MAGHA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 21st January 1975

S.O. 44(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 53 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government hereby directs that the Assam State Warehousing Corporation which was established under the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), for the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972 and which has continued to function under sub-section (1) of that section, shall cease to function as from, and shall be dissolved on the 21st day of January, 1975.

[No. F. 7-7/73-SG]

R. K. SHASTRI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1975

का० आ० 44(अ).—केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 53 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्दिष्ट करती है कि आसाम राज्य भाण्डागारण निगम, जो आसाम राज्य के लिए, जैसा कि वह 1972 की जनवरी के 21वें दिन से ठीक पूर्व अस्तित्व में था, भाण्डागारण निगम, 1962 (1962 का 58) के अधीन स्थापित किया गया था और जो उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन कार्य कर रहा है, तारीख 21 जनवरी 1975 से कार्य करना बन्द कर देगा और वह तारीख 21 जनवरी 1975 से विघटित कर दिया जाएगा।

[सं० फा० 7-7/73-एस० जी०]

आर० के० शास्त्री, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975